



# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

## ई-बिड सूचना

क्रमांक : 322-24

दिनांक : 10/02/2025

आयोग कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये आवश्यकतानुसार जॉब बेसिस पर परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों को सम्पादित करवाने के लिए फर्मों को सूचीबद्ध करने संबंधी वार्षिक दर संविदा हेतु ई-बिड आमंत्रित की जाती हैं। विवरण निम्नानुसार है:-

कार्य का विवरण	जॉब बेसिस पर श्रमिक उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।
अनुमानित मूल्य	रु. 1,13,00,000/-
निविदा शुल्क	रु.2000/- बजट मद 0075-00-800-52-01 में जमा कर चालान की प्रति संलग्न करावें।
निविदा प्रोसेसिंग बिड शुल्क	रु.2000/- बजट मद 8658-00-102-(16)-01 (सिविल विभाग) में जमा कर चालान की प्रति संलग्न करावें।
निविदा अमानत राशि (2%)	राशि 2,26,000/-रुपये मात्र बजट मद 8443-00-103-00-00 में जमा कर चालान की प्रति संलग्न करावें।
ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	04-03-2025 दोपहर 3.00 बजे तक
ई-निविदा खोलने की तिथि	04-03-2025 सांय 4.00 बजे
निविदा अपलोड/प्रकाशित किये जाने की दिनांक:-	10-02-2025

नोट (1) ई-निविदा प्रपत्र एवं शर्तें [www.eproc.rajasthan.gov.in/](http://www.eproc.rajasthan.gov.in/) [www.rpsc.rajasthan.gov.in](http://www.rpsc.rajasthan.gov.in) एवं <http://sppp.raj.nic.in> पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट से डाउनलोड किये गए ई-निविदा प्रपत्र के निविदा शुल्क का चालान संलग्न करना आवश्यक है।

(2) निविदा शुल्क/ निविदा प्रोसेसिंग फीस व निविदा अमानत/धरोहर राशि एक ही चालान के द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र क.प 6(5) वित्त (सा.वि.ले.नि.) 2018 जयपुर दिनांक 27.04.2020 वर्णितानुसार सम्बन्धित बजट मद में ई ग्रास के माध्यम से जमा करायी जाकर चालान की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से राशि स्वीकार नहीं की जावेगी एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

उप सचिव  
(सम.एवं व्यवस्था)

एफ 21 (168)समन्वय व्यवस्था/श्रमिक ठेका/2025-26/ 322-24  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक : 10/02/2025

- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर को भेजकर पचास हजार प्रतिया और उससे अधिक का परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय हिन्दी मुख्य दैनिक समाचार पत्र तथा एक अखिल भारतीय स्तरीय व्यापक प्रचार प्रसार वाला हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने हेतु।
- नोटिस बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- प्रभारी अधिकारी, आई.टी. अनुभाग राज.लोक सेवा आयोग, अजमेर उक्त निविदा सूचना को e-proc. Portal, SPPP एवं आयोग की वेबसाइट [www.rpsc.rajasthan.gov.in](http://www.rpsc.rajasthan.gov.in) पर अपलोड करावें।

उप सचिव  
(सम.एवं व्यवस्था)


राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर  
(तकनीकी निविदा प्रपत्र)


बोली आमंत्रण क्रमांक समन्वय एवं व्यवस्था 01/2025-26


दिनांक


(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर में जॉब बेसिस पर कुशल/अर्द्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए फर्मों को सूचीबद्ध करने संबंधी वार्षिक दर संविदा।

1. ई-निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म /व्यक्ति का नाम व पता -----  
-----  
दूरभाष नम्बर -----फेक्स -----  
ई-मेल-----
2. जिसको सम्बोधित किया गया - सचिव, रा.लो.से.आ., अजमेर
3. सन्दर्भ - ई-निविदा सूचना सं. .... दिनांक .....(समाचार पत्र का नाम).....  
दिनांक. ....में प्रकाशित हुई
4. बिड शुल्क की राशि 2000/-चालान संख्या ..... दिनांक चालान नं. -----  
दिनांक ....., अमानत राशि 226000/- रुपये चालान नंबर .....दिनांक .....  
के द्वारा जमा करा दी गयी है।
5. प्रोसेसिंग फीस राशि रूपये 2000/- दिनांक..... चालान नं. -----
6. ई-ग्रास द्वारा चालान बनाये जाने हेतु विस्तृत प्रक्रिया :-
  1. अमानत राशि, ई-निविदा की अनुमानित राशि की 02 प्रतिशत होगी, जो कि वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.6(5)वित्त/ साविलेनि/2018/जयपुर दिनांक 27.04.2020 व दिनांक 09.07.2020 के अनुसरण में ऑनलाईन ई-ग्रास पद्धति से जमा करायी जायेगी तथा इसके अतिरिक्त बोली दस्तावेज मूल्य एवं RISL का प्रोसेसिंग शुल्क भी ऑनलाईन ई-ग्रास पद्धति से देय होगा। जिसकी ई-भुगतान रसीद/ ई-ग्रास चालान से राशि जमा की प्रति ऑनलाईन ई-निविदा भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य होगी।
  - लोक उपापन प्रक्रिया में पारदर्शिता स्थापित करने के उद्देश्य से ई-प्रोक्वोरमेंट पोर्टल पर ई-निविदाओं के प्रेषण के लिए एक ही चालान से ऑनलाईन ई-ग्रास पद्धति के माध्यम से बिड सिक्वोरिटी (अमानत राशि) बजट मद 8443-00-103-00-00 में, बोली दस्तावेज मूल्य (निविदा शुल्क) बजट मद 0075-00-800-(52)-[01] में एवं ई-प्रोसेसिंग शुल्क (RISL) बजट मद 8658-00-102-(16)-[01]के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के नाम से जमा की जायेगी।
  - बिडर का ई-ग्रास पर लॉगिन पहले से नहीं बना हो तो सर्वप्रथम बिडर को ई-ग्रास पोर्टल पर New User Sign Up से लॉगिन फॉर्म भरना है।
  - Login ID Passwrod प्राप्त करने के पश्चात ई-ग्रास पोर्टल पर Sign In करें।
  - चालान जमा करवाने हेतु Service Challan का ऑप्शन चयन करें।
  - Department (Rajasthan Public Service Commission हेतु विभागीय कोड..... एवं ऑफिस Rajasthan Public Service Commission आई.डी.-.....का चयन करें।

  
उप सचिव  
(सम. एवं व्यवस्था)


  
उप सचिव  
(लेखा)


  
वित्तीय सलाहकार  
(लेखा)

  
संयुक्त सचिव  
(प्रशासन)


- चालान फॉर्म में Period के Option में onetime option का चयन करें।
  - Payment Mode में ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। ऑनलाईन मोड चयन करने पर संबंधित बैंक की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जायेगा। ऑफलाईन भुगतान करने की स्थिति में जिस बैंक का विकल्प चुना है उसकी संबंधित बैंक में चालान /कैश जमा कराना होगा। विस्तृत प्रक्रिया ई-ग्रास पोर्टल (egras.rajasthan.gov.in) पर User Manual में उपलब्ध है। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए ई-ग्रास हेल्प डेस्क नंबर 0141-2744294 पर सम्पर्क किया जा सकता है। वर्तमान में चालान द्वारा ही भुगतान किया जाना है।
7. हम बोली आमंत्रण संख्या.....दिनांक.....में वर्णित सभी शर्तों से तथा विभागीय शर्तों एवं निर्देशों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को स्वीकार किये जाने के प्रमाण -स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं।
  8. हम सहमत हैं कि विभाग द्वारा निविदा सूचना में अंकित अवधि में कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक उपलब्ध करा दिये जाएंगे।
  9. हम RTPP अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधानों को स्वीकार करते हैं।
  10. हम सम्पुष्टि करते हैं कि वित्तीय प्रपत्र (BOQ) में अंकित की गई दरें विस्तृत ई-बोली की समस्त शर्तों के अनुरूप हैं। हमने निविदा की सभी शर्तों का समझ लिया है।
  11. हम सम्पुष्टि करते हैं कि वित्तीय निविदा स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेंगे जिसके अभाव में निविदा निरस्त योग्य है।
  12. बोलीदाता/संवेदक के विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	पंजीकरण अवधि	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का प्रमाण पत्र अथवा अण्डरटेकिंग श्रम विभाग न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पालना					
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952					
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948					
4.	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)					
5.	आय कर पेन (नंबर)					
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम,1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत					
7.	बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम-1986 , संशोधित अधिनियम-2018					

  
उप सचिव  
(सम. एवं व्यवस्था)

  
उप सचिव  
(लेखा)

  
वित्तीय सलाहकार  
(लेखा)

  
संयुक्त सचिव  
(प्रशासन)

13. हम सम्पूष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में बोली निरस्त करने योग्य है। आवश्यक दस्तावेज चैक लिस्ट के अनुसार संलग्न कर दिए गये हैं :-


S. No	Type of Certificate & Other informations	Yes/No	Page No
1.	Name of Bidder Firm		
2.	Status (Proprietor / Partnership Firm / Company)		
3.	Authorised Signatory (Name & Designation) (01) E-Mail (02) Phone No. (03) Address		
4.	Whether RISL fee is submitted with the technical Bid Provide details Challan no..... dt..... Rs.....		
5.	Whether Bid Security Challan No.....Dt..... Rs..... Submitted		
6.	Form Fee Challan no..... dt..... Rs.....		
7.	Whether annexure – A,B,C&D have been downloaded signed and submitted with the technical bid		
8.	Bankers Certificate regarding running bank account, if bidder has submitted bid for the first time		
9.	The required copy of audited financial statements of last two years are enclosed with the technical bid.(F.Y. 2022-23 & 2023-24)		
10.	Whether the copies of work orders and satisfactory completion in support of two year working experience submitted. (F.Y. 2022-23 & 2023-24)		
11.	Whether all documents of compulsory conditions enclosed with Technical Bid		
12.	Registration Certificate of Labour Department and other concerning Acts as on point 12 of Technical Bid.		
13.	Registration Certificate of GST		
14.	Registration Certificate of E.S.I. & E.P.F.		
15.	Original Undertaking for Crininal Liability That M/s.....(Name of Firm/Agency) has not been neither prosecuted nor declared defaulter by any Govt. Agency and No proceedings in any nature i.e. CBI/FEMA/Criminal/Income Tax/Sales Tax/Vat/Labour Laws/Black Listed is going on / Contemplated / Pending against the firm.		
16.	Registration Certificates in all relative Acts.		

14. तकनीकी निविदा में पात्र पाए जाने पर सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।  
15. हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अग्रेजी भाषा में हैं तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अग्रेजी की प्रमाणित रूपान्तरण भी प्रस्तुत किया गया है।

नोट :-


- क्रम संख्या (12 व 13) में अंकित संलग्नको में दस्तावेज प्रस्तुत किया है अथवा नहीं उसके आगे 'Yes' or 'No' उसके जारी होने की तिथि / (issuing date validity date) वैधता अवधि अंकित करना आवश्यक है इसका उतरदायित्व बोलीदाता का है इसके अभाव में बोली अमान्य की जा सकती है।
- यह स्पष्ट किया जाता है कि संवेदक द्वारा EPF व ESI का नियमानुसार समयान्तर्गत भुगतान नहीं किए जाने पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 के प्रावधान अनुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

  
उप सचिव  
(सम. एवं व्यवस्था)

  
उप सचिव  
(लेखा)

  
वित्तीय सलाहकार  
(लेखा)

  
संयुक्त सचिव  
(प्रशासन)

# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

## ई-निविदा की शर्तें


(जॉब बेसिस पर श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु फर्मों को सूचीबद्ध करने संबंधी वार्षिक दर संविदा)  
(निविदादाता इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ें एवं अपनी निविदाएं प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्ण रूप से पालना करनी होगी)


### (A) अनिवार्य मापदण्ड [Eligibility Criteria]

- ई-उपापन शुल्क रुपये 2000/-, प्रोसेसिंग फीस राशि रुपये 2000/- एवं बोली शुल्क (बिड सिक्योरिटी) राशि के चालान On Line जमा करा, बोली के साथ स्कैन करके प्रस्तुत करना होगा।
- उपरोक्त के अभाव में संबंधित फर्म की वित्तीय बिड नहीं खोली जावेगी, जिसके लिये आयोग प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- ई-उपापन शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटाया जावेगा।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय में परीक्षा संबंधित कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रकृति का है जिसका समय पर होना अति-आवश्यक है। निविदा में भाग लेने से पूर्व आयोग में उपस्थित होकर कार्य की प्रकृति जानकर ही निविदा की दर प्रस्तुत करें, क्योंकि आयोग में पूर्व वर्षों में L-1 रही फर्म मैसर्स आर. एस. एन्टरप्राइजेज, 74-ए, आनंद विहार-ए, बेनार्ड रोड, झोटवाड़ा, जयपुर द्वारा आयोग को उपलब्ध कराये गये श्रमिकों के EPF खाते में पूर्ण राशि जमा नहीं करायी जाने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में प्रकरण डायरी संख्या 927/23 दर्ज है। साथ ही आयोग द्वारा अपने स्तर से भी उक्त फर्म के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धाराओं के आधार पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है। अतः इच्छुक निविदादाता निविदा में बाजार सर्वे के आधार पर तथा सुसंगत दरें प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावें।
- बिडदाता का गत दो वर्षों में औसत वार्षिक टर्नओवर राशि 40 लाख या अधिक होना आवश्यक है। जिसके समर्थन में चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित वर्षवार टर्नओवर का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही गत दो वर्षों की ITR भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- अनुभव : बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 02 वित्तीय वर्ष (2022-23 व 2023-24) में केन्द्र/राज्य के राजकीय विभाग/उपक्रम/स्वायत्त संस्था/परियोजना/बोर्ड/समिति/आयोग/शिक्षण संस्था/बैंकों में न्यूनतम 35 श्रमिक प्रतिवर्ष सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगाना अनिवार्य होगा।
- सम्बन्धित विभाग/संस्थान के द्वारा सन्तोषप्रद कार्य किये जाने का प्रमाण (कालम सं 05) यदि हो तो, विवरण कॉलम सं. 05 में अंकित किया जाये।


क्रम संख्या (01)	विभाग/संस्थान का नाम (02)	उपलब्ध कराये गये श्रमिक का दिनांक/वर्ष (03)	उपलब्ध कराये गये श्रमिक की संख्या (04)	संबन्धित विभाग/संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण-पत्र का अंकन (05)
1.				
2.				
3.				
4.				

- निविदादाता/संवेदक को राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 श्रम विभाग न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.), आयकर पेन नंबर एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत में अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना चाहिए। निविदा प्रपत्र के साथ उक्त पंजीयन प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जानी अनिवार्य है। बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986, संशोधित अधिनियम, 2016 व संशोधित अधिनियम, 208 के अन्तर्गत बाल श्रम नियोजन नहीं किए जाने संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
- वित्त विभाग के परिपत्र 30.04.2018 एवं स्पष्टीकरण दिनांक 14.11.2018 के अनुसार अर्हत संवेदक ही बोली में भाग ले सकते हैं।
- उपापन समिति द्वारा तकनीकी रूप से पात्र निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
- फर्म/फर्म मालिक यदि पूर्व में केन्द्रीय सरकार/किसी भी राज्य सरकार अथवा इनके किसी विभाग/उपक्रम/संस्था द्वारा एक से अधिक बार कार्य को अधूरा छोड़ने अथवा संतोषप्रद तरीके से पूर्ण नहीं करने पर शास्ति लगायी जा कर वसूल की गई हो अथवा ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है तो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। निविदादाता इस बाबत शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा।

  
उप सचिव  
(सम. एवं व्यवस्था)

  
उप सचिव  
(लेखा)


  
वित्तीय सलाहकार  
(लेखा)

  
संयुक्त सचिव  
(प्रशासन)

# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर


## (B) दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देश

1. ई-टेण्डरिंग के लिये निविदादाताओं हेतु निर्देश—
  - a. इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in>, [SPPP.rajasthan.gov.in](http://SPPP.rajasthan.gov.in) अथवा [rpsc.rajasthan.gov.in](http://rpsc.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड कर सकते हैं।
  - b. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर कराना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सीसीए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं।
  - c. ऑनलाईन निविदाएं निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जायेगी।
  - d. इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्र जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी हैं।
  - e. कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रॉनिक जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
  - f. टेण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।
  - g. निविदा भरने की अंतिम दिनांक एवं समय का इंतजार नहीं करें।
2. तकनीकी बोली से संबंधित दस्तावेज केवल तकनीकी बोली में अपलोड और वित्तीय बोली से संबंधित वित्तीय बोली में ही अपलोड करने चाहिए। उक्त सभी दस्तावेजों पर निविदादाता द्वारा स्पष्ट हस्ताक्षर (मय नाम) किये जावेगें एवं मोहर लगानी होगी :-
  - अ- अपूर्ण/अस्पष्ट रूप से भरी हुई निविदा एवं शर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
  - ब- निविदादाता को वित्तीय बिड (परिशिष्ट-2) प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें निविदादाता को अपनी सामग्री की राशि, उपकरण किराया एवं सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी। वित्तीय निविदा भरने से पूर्व निविदादाता द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विचार करना होगा :-
    - I. कर्मचारों का न्यूनतम मानदेय जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
    - II. कर्मचारों का नियोक्ता द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (EPF)/कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ESI)/अंशदान
    - III. वस्तु एवं सेवा कर (GST)
    - IV. सर्विस चार्ज
    - V. नकारात्मक प्रतिफल बोली/न्यूनतम बोली अस्वीकार्य होगी।
3. बिडदाता की उक्त ई बिड में सम्मिलित शर्तों के अलावा अन्य कोई भिन्न शर्त स्वीकार्य नहीं होंगी।
4. निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली बिडों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. किसी भी बिड अथवा समस्त बिडों को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को होगा।
6. वित्तीय दरें पृथक से ऑनलाईन BoQ डाउनलोड कर उसी में भरी जाकर पुनः अपलोड करावे। BoQ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना स्वीकार्य नहीं होगा।
7. निविदा दरें तकनीकी बिड को खोले जाने के दिनांक से 90 दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
8. राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा नियम 2013 लागू रहेगें।
9. निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी। ऑफलाईन प्रस्तुत निविदा के मूल्यांकन पर विचार नहीं होगा।
10. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा में पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए, संदर्भित दस्तावेजों की सारणी बनाएँ व विवरण पृष्ठ संख्या सहित अंकित करें।

  
उप सचिव  
(सम. एवं व्यवस्था)

  
उप सचिव  
(लेखा)


  
वित्तीय सलाहकार  
(लेखा)

  
संयुक्त सचिव  
(प्रशासन)

# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर


## (C) निविदा की सामान्य शर्तें :

1. आयोग कार्यालय से कार्यादेश जारी होने के 07 दिवस के अंतर्गत कार्य शुरू करवाना होगा। निर्धारित अवधि में जॉब बेसिस पर श्रमिक उपलब्ध नहीं किये जाने की स्थिति में शास्ती प्रथम दिवस 100/-, दूसरे दिवस 200/- एवं तीसरे दिवस 500/- लगेगी। तत्पश्चात् अनुबन्ध की शर्तों के आधार पर प्रति श्रमिक क्षतिपूर्ति की राशि वसूल की जायेगी। यह राशि कार्य संपादन प्रतिभूति राशि/भुगतान की जाने वाली राशि में से काट ली जावेगी। जिसकी समूचित जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी।
2. निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
3. बिड में अंकित कार्य से संबंधित सफल निविदादाता को गोपनीयता बनाये रखनी होगी। यदि फर्म के कार्मिकों द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है/गोपनीयता भंग की जाती है तो आयोग आवश्यक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।
4. बिड प्रक्रिया/निर्णय के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में प्रथम अपील संयुक्त सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर एवं द्वितीय अपील सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को की जा सकेगी।
5. यह द्वि-प्रक्रमी बोली है जिसमें तकनीकी बिड व वित्तीय बिड पृथक-पृथक प्रपत्रों में प्रस्तुत की जानी है।
6. समस्त प्रमाण-पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण-पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित व सत्यापित होना चाहिए।
7. निविदा की वैधता तकनीकी बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक विधिमाम्य होगी।
8. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इन्डियन कंपनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत या अन्य सरकारी संस्थान से पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति क्वालीफाईड बिड के साथ संलग्न करनी होगी।
9. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।
10. निविदा प्रपत्र में अंकित शर्तों के अतिरिक्त, निविदादाता द्वारा प्रस्तुत कोई अन्य शर्त मान्य नहीं होगी।
11. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय उपापन समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।
12. विभागीय उपापन समिति के निर्णयानुसार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार/निरस्त कर सकेगा।
13. सफल निविदादाता की दरें अनुमोदित होने के बाद निर्धारित प्रारूप में 7 दिवस के भीतर रूपयें 500/- के स्टाम्प पेपर पर स्वयं के खर्च पर अनुबंध करना होगा जिसकी मूल कॉपी आयोग को निःशुल्क उपलब्ध करवानी होगी।
14. यदि अनुमोदित निविदादाता अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य सम्पादित करने में असफल रहा तो अनुबंध तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
15. संवेदक द्वारा समय पर कार्य नहीं करने की स्थिति में विभाग को अन्य किसी भी संस्था/संवेदक की जोखिम पर कार्य करवाने का पूर्ण अधिकार होगा।
16. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर लागू नियमों एवं वित्त विभाग (जी.एण्ड.टी.) के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 की पालना करनी होगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संवेदक की होगी।
17. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद जॉब बेसिस पर कार्य संतोषप्रद रूप से सम्पन्न किये जाने पर सीधे संवेदक के बैंक खाते में कोषालय के माध्यम से किया जायेगा तथा वसूलिया यदि कोई हो तो उन्हें प्रभारित किया जावेगा।
18. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर या ठेकेदार ) द्वारा अजमेर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जाएगी।
19. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948( Section 11: Wages in kind.) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बंधित संवेदक का होगा।


  
उप सचिव  
(सम. एवं व्यवस्था)

  
उप सचिव  
(लेखा)

  
वित्तीय सलाहकार  
(लेखा)


  
संयुक्त सचिव  
(प्रशासन)

20. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण हेतु उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
21. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
22. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार लागू होने पर श्रमिकों की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
23. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिक अपराधिक प्रवृत्ति के नहीं हों, चाल-चलन व चरित्र सही हो एवं यदि ठेकेदार द्वारा कार्य करने के दौरान आयोग कार्यालय की चल-अचल सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया गया तो उसकी वसूली ठेकेदार से की जावेगी।
24. कर्मकारों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय का भुगतान करने तथा उनके पी.एफ. व ई.एस.आई. का अंशदान संबंधित विभागों में जमा कराने की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधित फर्म की होगी।
25. प्रत्येक माह ESI/EPF का मासिक ECR फर्म अपने सुपरवाइजर के पास कर्मकारों की जानकारी हेतु उपलब्ध करायेगी। आयोग के नोटिस बोर्ड पर एक प्रति प्रत्येक माह लगानी होगी तथा अनुबन्ध समाप्त होने के एक माह में कुल ESI/EPF जमा का विवरण प्रत्येक कर्मकार को अनुबन्धित फर्म द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
26. बिल के साथ संलग्न ESI/EPF के चालान की प्रति पर यह अंकित करें "प्रमाणित किया जाता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के आदेश क्रमांक.....दिनांक.....के क्रम में जॉब बेसिस पर माह.....की अवधि में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर में करवाये गये .....संबंधी कार्य/सर्विसेज हेतु नियोजित किये गये कर्मकारों/श्रमिकों के ESI/EPF की राशि .....जो कि इस चालान की राशि .....में सम्मिलित है, संबंधित विभाग में जमा करा दी गई है।"
27. आयोग कार्यालय में अनुबन्धित फर्म के द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों की EPF की राशि के, EPFO में समायोजन का पृथक चालान जमा कराया जायेगा। उक्त चालान आयोग द्वारा भुगतान की गई राशि (13%) एवं श्रमिकों के वेतन से कटौती किये गये अंशदान (12%) के बराबर राशि का होगा।
28. आयोग कार्यालय में अनुबन्धित फर्म के द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों की ESI की राशि के, सम्बन्धित विभाग में समायोजन का पृथक चालान जमा कराया जायेगा। उक्त चालान आयोग द्वारा भुगतान की गई राशि (3.25%) एवं श्रमिकों के वेतन से कटौती किये गये अंशदान (0.75%) के बराबर राशि का होगा।
29. बिल के साथ संलग्न G.S.T. के चालान की प्रति पर यह अंकित करें "प्रमाणित किया जाता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के आदेश क्रमांक.....दिनांक.....के क्रम में जॉब बेसिस पर माह.....की अवधि में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर में करवाये गये.....संबंधी कार्य/सर्विसेज की ऐवज में G.S.T. की राशि .....जो कि इस चालान की राशि .....में सम्मिलित है, संबंधित विभाग में जमा करा दी गई है।"
30. श्रम विभाग जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12 दिसम्बर 2024 संख्या एफ.5(6)न्यू.म.अभि./श्रम/ई.आर./2000 पार्ट/23926 के द्वारा प्रतिमाह व प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित की गई हैं। दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मकार को देय मानदेय की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मकार है उस वर्ग के लिए नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है। उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मकार के लिए नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है। अतः प्रत्येक कर्मकार को प्रत्येक सप्ताह में एक अवकाश देते हुए उपस्थिति संख्या के आधार पर अधिकतम 26 दिवस का ही भुगतान किया जावेगा, जो मासिक मानदेय कहलायेगा।
31. बिल व बिल के साथ समस्त संलग्नकों पर अनुबन्धित फर्म के अधिकृत व्यक्ति के ही हस्ताक्षर मय नाम व मोहर अंकित होना अनिवार्य है।
32. अनुबन्धित फर्म द्वारा बिल एवं कार्य विवरण का प्रमाणीकरण संबंधित प्रभारी/अधिकारी से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।

  
उप सचिव  
(सम. एवं व्यवस्था)

  
उप सचिव  
(लेखा)

  
वित्तीय सलाहकार  
(लेखा)


  
संयुक्त सचिव  
(प्रशासन)



33. बिल के साथ TRRN नंबर वाले चालान का सूक्ष्मता से जाँच व मिलान कर ही आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि आयोग कार्यालय द्वारा मिलान करने पर नियोजित कर्मचारों की संख्या व ESI/EPF की जमा राशि के संबंध में सत्यापन किया जा सके।
34. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों उपनियमों अधिक सूचनाओं, दिशा निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
35. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धिक श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन कराने के लिए उत्तरदायी होगा।
36. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
37. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
38. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
39. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि कि रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
40. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।
41. संवेदक कार्यादेश के पश्चात् यदि वह कार्य को अधूरा छोड़ता है अथवा संतोषजनक तरीके से पूर्ण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में संवेदक को 07 दिवस का नोटिस जारी किया जायेगा तत्पश्चात भी अगर स्थिति में सुधार नहीं करता है तो उस पर कुल बिल राशि की प्रथम बार 05 प्रतिशत शास्ति, द्वितीय बार 07 प्रतिशत शास्ति एवं तृतीय बार 10 प्रतिशत शास्ति लगायी जायेगी। यदि इसके बाद भी कार्य में सुधार नहीं आता है तो अनुबन्ध/कार्यादेश निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त की जाकर फर्म को ब्लैक लिस्ट हेतु श्रम विभाग को अग्रेषित कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी। साथ ही निविदादाता से हानि या नुकसान की भरपाई नहीं हो पाई तो यह वसूली रा. लो. मांग वसूली अधिनियम, 1952 के अधीन या उस समय प्रवृत्त किसी विधि से की जायेगी।
42. उक्त ठेके के अनुबन्ध में यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हुआ तो सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर का निर्णय अन्तिम बाध्यकारी होगा।
43. संवेदक को विभिन्न व परीक्षाओं से संबंधित समस्त कार्य समय पर करवाने होंगे। अपेक्षित प्रमुख कार्यों का विवरण आयोग द्वारा उपलब्ध करवा दिया जाएगा।
44. सफल निविदादाता द्वारा आयोग में लगाये गये श्रमिकों को वर्दी देना अनिवार्य होगा, जिसका आयोग द्वारा अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
45. बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार के स्पष्टीकरण के सम्बंध में निम्नांकित अधिकारियों से कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है।


1. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर राजस्थान।

2. उप सचिव (O&M) राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर राजस्थान।


  
उप सचिव  
(सम. एवं व्यवस्था)

  
उप सचिव  
(लेखा)

  
वित्तीय सलाहकार  
(लेखा)


  
संयुक्त सचिव  
(प्रशासन)

46. वित्त विभाग के परिपत्र एफ.2(1)वित्त/एस.पी.एफ.सी./2017 जयपुर दिनांक 30.04.2018 संख्या 01/2018 के अनुसार मानव संसाधन का उपापन किया जायेगा, एवं परिपत्र के दिशा निर्देश भी लागू होंगे।
47. वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)एफ.डी./एस.पी.एफ.सी./2017 दिनांक 14.11.2018 के क्रम में सफल संवेदक को यह शपथ-पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि निविदा अवधि के दौरान यदि उसके द्वारा राजस्थान श्रमिक अनुबन्धित अधिनियम एवं श्रमिक अनुबन्ध नियम, 1970 / संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत पंजीकरण कराया जाना आवश्यक हो तो तदनुसार पंजीकरण कराते हुए प्रमाण-पत्र की प्रति संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी।
48. संवेदक अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाड़े (Sub-let) पर नहीं देगा।
49. करार व कार्य संपादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security)
- (1) सफल बिडदाता को कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जो कार्यादेश राशि का 5 प्रतिशत होगी, अनुबन्ध के साथ बैंक ड्राफ्ट, राष्ट्रीय बचत पत्र, अनुसूचित बैंक की बैंक गारन्टी अथवा एफ.डी. के रूप में जमा करवानी होगी, जो कि बिना ब्याज के अनुबंध समाप्ति पर लौटायी जायेगी। (उक्त प्रतिभूति अजमेर में स्थित बैंक/पोस्ट ऑफिस में देय होनी चाहिये। यदि अजमेर से बाहर की प्रतिभूति होती है तो उसका सत्यापन संबंधित बैंक से कराना होगा, जिसका यात्रा व्यय संबंधित समस्त व्यय अनुबन्धित फर्म को वहन करना होगा)
  - (2) अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति—श्रमिक अनुबन्धकर्ता द्वारा नियमानुसार परफोरमेंस सिक्यूरिटी के अतिरिक्त उसको एक माह के लिए भुगतान की जाने वाली EPF/ESI की राशि के समतुल्य राशि की FDR अतिरिक्त कार्य निष्पादन प्रतिभूति के रूप में आयोग कार्यालय में जमा रखनी होगी, जिसको कार्य समाप्ति के उपरान्त 03 माह के भीतर समस्त EPF/ESI से संबंधित जमा चालानों का सन्तोषजनक समायोजन की जांच उपरान्त अनुबन्धित अनुबन्धकर्ता को लौटा दी जायेगी।
  - (3) सफल बिडदाता की दर स्वीकृति की दिनांक से 7 दिवस के भीतर 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में निर्धारित एस.आर.प्रारूप-17 में करार पत्र स्वयं के खर्च पर निष्पादित करना होगा। जिसकी मूल स्टाम्प शुदा प्रति निःशुल्क विभाग को उपलब्ध करवानी होगी।
  - (4) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गई है, 7 दिन के भीतर जमा कराई जाएगी।
50. बोली प्रतिभूति का समपरहरण (Forfeiture of Bid Security) बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामले में समपरहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :-
- (क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद, किन्तु बोली का स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रुपान्तरण (Modification) करता है।
  - (ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
  - (ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
  - (घ) यदि बोली लगाने वाले "अधिनियम" और इन "नियम" के अध्याय 06 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।
- भुगतान :-
51. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के दो कार्य दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
  52. यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (PART TIME) मानव संसाधन की सेवाओं की 04 घण्टे से कम अवधि के लिए आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धित कारवाई की जायेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिसकी सेवाएं 04 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेगी। उन्हे उनकी सेवाओं के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।
  53. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बड़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
  54. निविदादाता द्वारा आयोग कार्यालय में Display Board लगाना होगा, जिस पर निविदादाता का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, हेल्पलाईन नंबर आदि स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
  55. श्रमिकों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।
  56. कर्मचारों की उपस्थिति (आवागमन) अनुबन्धित फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा संबंधित जॉब कार्य के प्रभारी/नियन्त्रक के समक्ष करवाई जानी होगी। अनुबंधित फर्म इसके समस्त रिकॉर्ड को सुरक्षित रखेगा तथा आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।

  
उप सचिव  
(सम. एवं व्यवस्था)

  
उप सचिव  
(लेखा)

  
वित्तीय सलाहकार  
(लेखा)

  
संयुक्त सचिव  
(प्रशासन)

57. अनुबन्धित फर्म के किसी कृत्य या अपकृत्य से व्यथित होकर कोई कर्मकार/श्रमिक न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें आयोग प्रशासन को भी पक्षकार बनाता है तो संबंधित न्यायालय में एडवोकेट व जवाब पेश करने आदि में होने वाला समस्त आर्थिक भार अनुबन्धित फर्म से वसूल किया जावेगा।
58. अनुबन्धित फर्म द्वारा जॉब बेसिस कार्य में लगाये जाने वाले कर्मकारों की सूची उनके पासपोर्ट साईज फोटो सहित संबंधित जॉब कार्य के प्रभारी/नियन्त्रक को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। इनके आचरण एवं उसके द्वारा किये गये किसी भी आपराधिक कार्य, अपकृत्य एवं दुराचरण के लिए पूर्ण रूप से अनुबन्धित फर्म जिम्मेदार होगी। इन कर्मकारों के नियमित पुलिस वेरीफिकेशन (निविदा जारी की दिनांक से पूर्व के चार माह तक के) हों, उन्हीं कर्मकारों को कार्य पर उपलब्ध करवायेगा। पुलिस वेरीफिकेशन की सूची व सत्यापित प्रतियां जॉब कार्य के प्रभारी/नियन्त्रक द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने होंगे। यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध आपराधिक न्यायिक मामला चल रहा हो तो उस श्रमिक को अनुबन्धित फर्म आयोग में उपलब्ध नहीं करायेगा।
59. अनुबन्ध अवधि के दौरान कर्मकारों के द्वारा किसी भी समय, कितनी भी अवधि एवं किसी भी कारण से कार्य का बहिष्कार किया जाता है या हडताल की जाती है तो यह अनुबन्धित फर्म द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में कमी मानी जावेगी तथा आयोग द्वारा अपने स्तर पर श्रमिक उपलब्ध कराने पर व्यय की राशि फर्म के मासिक बिल अथवा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से वसूल की जावेगी एवं शर्तों का उल्लंघन माना जाकर प्रत्येक ऐसे अवसर/घटना के लिए रुपये 2000/- तक की शास्ति लगाने का पूर्ण अधिकार आयोग सचिव को होगा।
60. आयोग प्रशासन द्वारा अनुबन्ध से संबंधित कोई भी सूचना अनुबन्धित फर्म से कभी भी प्राप्त की जा सकेगी। इस हेतु अनुबन्धित फर्म को अनुबन्ध स्थल पर स्वयं की अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को नामजद करना होगा जो कि अनुबन्धित फर्म के नाम से जारी पत्रों को प्राप्त करने एवं वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत एवं उत्तरदायी हो। अधिकृत व्यक्ति 24 X 7 ब्लॉक संबंधित जॉब कार्य के प्रभारी/नियन्त्रक के संपर्क में रहेगा एवं आयोग प्रशासन के द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा। अधिकृत व्यक्ति का नाम, उम्र, पिता का नाम, पता, फोटो, मोबाईल नंबर, आधार कार्ड नम्बर तथा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर फर्म के लेटरहेड पर अंकित करवाकर अनुबन्धित फर्म द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा एवं उपरोक्त रिकॉर्ड के दस्तावेज अनुबन्धित फर्म को भी रखने होंगे।
61. अनुबन्धित फर्म द्वारा जॉब बेसिस कार्य हेतु लगाये गये कर्मकारों की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरान्त मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने की समस्त जिम्मेदारी व दायित्व अनुबन्धित फर्म की होगी। इसके लिए सरकार व आयोग प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
62. निविदा एवं अनुबन्ध पत्र में वर्णित शास्तियां (पूर्ण/आंशिक) लगाने/नहीं लगाने का पूर्ण अधिकार आयोग सचिव को होगा, जो कि अनुबन्धित फर्म को बिना किसी आपत्ति के मान्य होगी।
63. मैंने राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की समस्त शर्तों का अध्ययन कर लिया है तथा मैं इनसे सहमत हूँ एवं इनका पालन करने का वचन देता हूँ।

दिनांक


ई-हस्ताक्षर बिडदाता  
मय मोहर


पूर्ण पता.....

.....

  
उप सचिव  
(सम. एवं व्यवस्था)

  
उप सचिव  
(लेखा)

  
वित्तीय सलाहकार  
(लेखा)

  
संयुक्त सचिव  
(प्रशासन)

## राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

### (D) जॉब बेसिस पर सूचीबद्ध करने (Empanelment) की शर्तें :

1. न्यूनतम दर दाता फर्मों की एक सूची तैयार की जाएगी।
2. सूचीबद्ध न्यूनतम दर दाता फर्मों की धरोहर राशि (2%) संविदा की सम्पूर्ण अवधि (एक वर्ष) तक आयोग कार्यालय में जमा रहेगी। केवल सूचीबद्ध नहीं होने वाली फर्मों की धरोहर राशि ही लौटाई जाएगी।
3. सूचीबद्ध न्यूनतम दर दाता फर्मों को L-1, L-2, व L-3 घोषित करने का आधार दो वित्तीय वर्षों 2022-23 व 2023-24 में औसत वार्षिक टर्नओवर रहेगा।
4. जिस न्यूनतम दर दाता सूचीबद्ध फर्म का दो वित्तीय वर्षों 2022-23 व 2023-24 में औसत वार्षिक टर्नओवर सर्वाधिक होगा, वह फर्म L-1 रहेगी। इसी आधार पर L-2, व L-3 घोषित की जाएगी।
5. सर्वप्रथम करार निष्पादन L-1 फर्म व आयोग के मध्य किया जाएगा व L-1 फर्म को ही कार्यादेश दिया जाएगा।
6. संविदा काल (एक वर्ष) में किसी भी लगातार 02 माह के दावों/भुगतानों में यदि फर्म द्वारा EPF व ESI की राशि नियमानुसार श्रमिकों के खातों में जमा नहीं करवाई गई, तो L-1 फर्म को संविदा शर्तों के आधार पर असफल/दोषी मानते हुए, कार्यादेश निरस्त कर दिया जाएगा व उसके विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के प्रावधानानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।
7. बिन्दु संख्या 6 में कार्यवाही किये जाने की स्थिति में टर्न ओवर आयोग द्वारा सूचीबद्ध L-2 फर्म से नवीन अनुबन्ध पूर्व की शर्तों के आधार पर किया जाएगा तथा न्यूनतम दर L-1 पर ही कार्यादेश दिया जाएगा। यही प्रक्रिया L-3 फर्म पर भी लागू रहेगी।



ten

The rates are to be given in the BOQ. Tenderer has to quote rates item wise on-line. The rate has to be quoted & filled in BOQ only. (Rates so approved shall remain fixed till the entire period of the contract.

(इस प्रारूप में दर अंकित नहीं की जाये, केवल eproc पर ऑनलाईन दर्ज की जाये)

### वित्तीय बिड (BOQ)

Tender Inviting Authority: Secretary RPSC AJMER

Name of Work :- Bidder (Empanelment) for supply of Labour (Job Basis Work)


Contract No.

क्र. सं.	सेवा का नाम, श्रमिक की श्रेणी एवं अनुमानित संख्या	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी।		EPF दर प्रतिशत राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार	ESI दर प्रतिशत राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि प्रति यूनिट / प्रतिदिवस (रूपयें में)	कुल राशि (कॉलम सं. 7 के अनुसार) (अंकों में)	कुल राशि रूपयें (शब्दों में)
		यूनिट	न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिमाह प्रति यूनिट राशि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
जॉब बेसिस पर श्रमिक उपलब्ध कराना								
1	अर्द्धकुशल अनु. 75 श्रमिक	01	7722/-	राज्य सरकार के निर्देशानुसार दर	राज्य सरकार के निर्देशानुसार दर			
2	कुशल अनु. 10 श्रमिक	01	8034/-	राज्य सरकार के निर्देशानुसार दर	राज्य सरकार के निर्देशानुसार दर			

- क्र.सं. 4, 5 व 6 की दरें केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर परिवर्तित दरों के अनुसार देय होगी। कॉलम संख्या 07 की दर में बाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल कॉलम संख्या 7 में ही बोलीदाता द्वारा राशि अंकित की जायेगी। प्रस्तुत की जाने वाली दर युक्त युक्त होनी चाहिए। दर स्वीकृति के संबंध में निर्णय लेने का सम्पूर्ण अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है।
- प्रस्तावक को दर प्रस्तावित करते समय श्रमिकों को स्लेटी रंग की एक जोड़ी वर्दी 31 मई 2025 से पूर्व (प्रदायकर्ता एजेन्सी के लोगो युक्त) देनी होगी। महिला श्रमिकों को भी इसी अनुसार साडी/सलवार कमीज देनी होगी। परिचय पत्र भी देना होगा। इन पर होने वाले व्यय एवं वर्ष पर्यन्त श्रमिकों को उपलब्ध कराने में होने वाले व्यवस्था व्यय को ध्यान में रखते हुए सर्विस चार्ज की दर प्रस्तावित की जानी चाहिये।
- आयोग द्वारा वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
- मेरे द्वारा उक्त ई बिड में प्रस्तुत दरें स्वीकृत/अनुमोदित होने पर मुझे ई बिड की शर्तें स्वीकार होगी।
- एक से अधिक बोलीदाताओं द्वारा BOQ के कॉलम संख्या 8 में समान राशि अंकित होने पर जिस निविदादाता का पिछले 02 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24)का औसत वार्षिक टर्नओवर सबसे अधिक होगा, उस निविदादाता को प्रथम न्यूनतम दरदाता माना जायेगा। इसके प्रमाण में सी.ए. द्वारा अंकेक्षित टर्नओवर का प्रमाण - पत्र सलंगन करना होगा।
- सेवा प्रदाता को सर्विस चार्ज के लिए आयोग कार्यालय के निर्णयानुसार न्यूनतम राशि 02.00 रूपये. प्रति यूनिट/प्रतिदिवस दिया जाना तय किया गया है। अतः निविदा में भाग लेने वाली फर्म न्यूनतम राशि 02.00 रु. या इससे अधिक प्रस्तावित करेगी। इससे कम की दर अस्वीकार्य होगी।


नोट :- आयोग द्वारा श्रमिकों की संख्या कार्य की आवश्यकतानुसार कमी (-)/वृद्धि (+) की जा सकती है। ड्यूटी के दौरान श्रमिकों को निर्धारित वर्दी एवं परिचय पत्र पहनना अनिवार्य होगा।

ई बिडदाता के हस्ताक्षर  
मय पूरा पता

  
उप सचिव  
(सम. एवं व्यवस्था)

  
उप सचिव  
(लेखा)

  
वित्तीय सलाहकार  
(लेखा)

  
संयुक्त सचिव  
(प्रशासन)

## Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing and harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

### Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.


A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :

- a. have controlling partners/ shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge / consultant for the contract.

  
उप सचिव  
(सम. एवं व्यवस्था)

  
उप सचिव  
(लेखा)

  
वित्तीय सलाहकार  
(लेखा)

  
संयुक्त सचिव  
(प्रशासन)


**Annexure B: Declaration by the Bidder regarding**

In relation to my/ our Bid submitted to ..... for procurement of ..... in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated.....I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:


1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act. Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;


Date:  
Place:

Signature of bidder  
Name:  
Designation:  
Address:

  
उप सचिव  
(सम. एवं व्यवस्था)

  
उप सचिव  
(लेखा)

  
वित्तीय सलाहकार  
(लेखा)

  
संयुक्त सचिव  
(प्रशासन)

## Annexure C : Grievance Redressed during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **Joint Secretary, DOP(A-2) Jaipur**  
The designation and address of the Second Appellate Authority is **Secretary, DOP, Govt. Secretariat, Jaipur**

### (1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specified ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.


### (4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.


### (5) Form of appeal

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

  
उप सचिव  
(सम. एवं व्यवस्था)


  
उप सचिव  
(लेखा)

  
बितीय सलाहकार  
(लेखा)


  
संयुक्त सचिव  
(प्रशासन)



- (6) Fee for filling appeal
- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non- refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.
- (7) Procedure for disposal of appeal
- (a) The First Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
- a. hear all the parties to appeal present before him; and
- b. peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- c. After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (i) The order passed under sub- clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

  
उप सचिव  
(सम. एवं व्यवस्था)

  
उप सचिव  
(लेखा)

  
वित्तीय सलाहकार  
(लेखा)

  
संयुक्त सचिव  
(प्रशासन)

## Annexure D : Additional Conditions of Contract

### 1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

1. if there is a discrepancy between the unit price and the total price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected ;
2. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
3. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (1) and (2) above.


if the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

### 2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities


1. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document . It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
2. if the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
3. In case of procurement of good of services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditional of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Good of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so. the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.


### 3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award ( In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

  
उप सचिव  
(सम. एवं व्यवस्था)

  
उप सचिव  
(लेखा)

  
वितीय सलाहकार  
(लेखा)

  
संयुक्त सचिव  
(प्रशासन)

[See rule 83]

## Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012

Appeal No..... of .....

Before the .....(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

- (i) Name of the appellant
- (ii) Official address, if any:
- (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

- (i)
- (ii)
- (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order ( enclose copy), or a statement of decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Applicant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....  
 .....  
 .....(Supported by an affidavit)


7. Prayer:

.....  
 .....


Place .....


Date .....

Appellant's signature

  
 उप सचिव  
 (सम. एवं व्यवस्था)

  
 उप सचिव  
 (लेखा)

  
 वित्तीय सलाहकार  
 (लेखा)

  
 संयुक्त सचिव  
 (प्रशासन)

## परिशिष्ट-I

अनुबन्धित अनुबन्धकर्ता के द्वारा प्रतिमाह बिल के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र  
(निविदा की सामान्य शर्त संख्या 20,26,27,28 एवं 29 के क्रम में)


01. प्रमाणित किया जाता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के आदेश क्रमांक .....  
.....दिनांक .....के क्रम में जॉब बेसिस पर माह.....की अवधि में  
राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर में उपलब्ध करवाये गये.....  
कार्य/सर्विसेज हेतु नियोजित किये गये कर्मकारों/श्रमिकों के EPF की राशि .....  
..... TRRN No .....के द्वारा संबंधित विभाग में जमा करा दी गई है। उक्त  
चालान में सम्मिलित समस्त सदस्य आयोग कार्यालय से सम्बन्धित ही है। उक्त चालान  
आयोग द्वारा भुगतान की गई राशि (13%) एवं श्रमिकों के मानदेय से कटौती किये गये  
अंशदान (12%) के बराबर राशि का है।
2. "प्रमाणित किया जाता है कि आयोग कार्यालय में अनुबन्धित फर्म के द्वारा उपलब्ध कराये  
गये श्रमिकों की ESI की राशि के, संबंधित विभाग में समायोजन का पृथक चालान जमा  
कराया गया है। उक्त चालान आयोग द्वारा भुगतान की गई राशि (3.25%) एवं श्रमिकों के  
मानदेय से कटौती किये गये अंशदान (0.75%) के बराबर राशि चालान संख्या.....  
.....दिनांक..... के द्वारा जमा करा दिया गया है।
3. बिल के साथ संलग्न G.S.T. के चालान की प्रति पर यह अंकित करें :-  
"प्रमाणित किया जाता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर जॉब बेसिस पर गत माह  
के बिल के द्वारा प्राप्त की गयी G.S.T. की राशि को संबंधित विभाग में जमा/समायोजित  
करा दी गई है।"
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस माह में नियोजित किये गये श्रमिकों की सूची भी मेरे  
द्वारा सत्यापित की जाकर इस बिल के साथ संलग्न की जा रही है।
5. गत माह में प्राप्त वेतन राशि को बैंक में जमा कराये जाने का पूर्ण विवरण जिसमें श्रमिक  
का नाम, बैंक का नाम, बैंक , खाता संख्या एवं जमा कराई गयी राशि स्पष्ट अंकित है इस  
बिल के साथ संलग्न है।

हस्ताक्षर अनुबन्धित अनुबन्धकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि

  
उप सचिव  
(सम. एवं व्यवस्था)

  
उप सचिव  
(लेखा)

  
वित्तीय सलाहकार  
(लेखा)

  
संयुक्त सचिव  
(प्रशासन)

परिशिष्ट-II

राजस्थान सरकार

बिड क्रमांक :

दिनांक :

शपथ-पत्र (कम्पनी/फर्म/एजेन्सी के द्वारा 100/-रु0 के स्टाम्प पेपर पर)

मैसर्स (कम्पनी/फर्म/एजेन्सी का नाम एवं पता).....

.....शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. बिड क्रमांक.....जो कि मेरे द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर में जॉब बेसिस श्रमिक प्रदायगी से संबंधित है, में मेरे/हमारे द्वारा दी गयी समस्त जानकारियाँ/दस्तावेज पूर्णतया सही है तथा गलत पाये जाने पर इसकी जिम्मेदारी मेरी/हमारी रहेगी।
2. मेरे/हमारे द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी कम्पनी/फर्म/एजेन्सी केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/ उपक्रम द्वारा Black Listed नहीं की गयी है।

हस्ताक्षर :.....


नाम : .....

पद : .....

कम्पनी/फर्म/एजेन्सी का नाम :


.....  
कम्पनी/फर्म/एजेन्सी का पूर्ण पता :

.....

  
उप सचिव  
(सम. एवं व्यवस्था)

  
उप सचिव  
(लेखा)

  
वित्तीय सलाहकार  
(लेखा)

  
संयुक्त सचिव  
(प्रशासन)

परिशिष्ट-III

शपथ-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निविदादाता फर्म.....द्वारा बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 2016 तथा उक्त अधिनियम के तहत राजस्थान बाल श्रमिक (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधित नियम, 2018 की पूर्ण रूप से पालना की जायेगी।

मेरी फर्म .....द्वारा मानव संसाधन की सेवाओं में बालश्रम नियोजित नहीं किया जायेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी फर्म की होगी एवं ऐसा होने की स्थिति में मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमज में लाई जा सकती है, जिसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा।


दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर मय सील

नाम :-

पता :-

  
उप सचिव  
(सम. एवं व्यवस्था)

  
उप सचिव  
(लेखा)

  
वित्तीय सलाहकार  
(लेखा)

  
संयुक्त सचिव  
(प्रशासन)